उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2

संख्या-1/2016-आडिट-2-749/दस-2016-370(4)/2016

लखनऊ: दिनॉक: 19 अक्टूबर, 2016

शुद्धि-पत्र

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, इलाहाबाद के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों में समूह ग एवं घ के पद पर कार्यरत कतिपय कार्मिकों का स्थानान्तरण कार्यालय ज्ञाप संख्या-22/2016--आडिट-2-658/दस-2016-370(4)/2016 दिनॉक 30-08-**2016** के द्वारा किया गया था। उक्त आदेश के क्रमाक-5,6 व 7 पर अंकित कार्मिकों के संबंध में उक्त कार्यालय ज्ञाप के कॉलम-4 में अंकित विषय 'स्थानान्तरण निरस्त करने के उपरान्त तैनाती का स्थान' के स्थान पर 'स्थानान्तरण के उपरान्त नवीन तैनाती का स्थान' निम्नानुसार पढा जाय ।

क्र0सं0	कार्मिक का नाम/ पद नाम	निदेशालय द्वारा स्थानान्तरण का स्थान	स्थानान्तरण के उपरान्त नवीन तैनाती का स्थान
1	2	3	4
1-	श्री सुदीप कुमार पाण्डेय, कनिष्ठ सहायक	जि0ले0प0अ**0** कार्यालय, मथुरा	जि0ले0प0अ**0** कार्यालय, इलाहाबाद
2-	श्री भानु प्रकाश श्रीवास्तव, कनिष्ठ सहायक	जि0ले0प0अ**0** कार्यालय, सुल्तानपुर	मण्डलीय कार्यालय, इलाहाबाद
3-	श्री प्रसिद्ध नारायण पाण्डेय, चपरासी	जि0ले0प0अ**0** कार्यालय, लखनऊ	प्रशिक्षण संस्थान इलाहाबाद

2- उक्त कार्यालय ज्ञाप के क्रमांक-4 पर अंकित श्री अखिलेश शर्मा,वरिष्ठ सहायक के संबंध में रिट याचिका संख्या– 34695/2016 में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29-07-2016 के दृष्टिगत श्री अखिलेश शर्मा, वरिष्ठ सहायक को उप निदेशक, मण्डलीय कार्यालय, अलीगढ में हुआ आदेश निरस्त कर उन्हें उनके वर्तमान तैनाती के स्थान जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, कार्यालय शाहजहॉपुर में यथावत बनाये रखे जाने का निर्णय लिया जाता है।

3- शासन का उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 30-08-2016 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये ।

भवदीया,

उमा द्विवेदी

अनु सचिव ।

संख्या-1/2016-आडिट-2-749(1)/दस-2016 तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-अधि0/शा0-2010, दिनॉक 12**-8-2016** के सन्दर्भ में इस आशय से प्रेषित कि कृपया सम्बन्धित कार्मिकों को उनके नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही करने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करे।

3- मुख्य कोषाधिकारी, इलाहाबाद/सम्बन्धित मण्डल/जनपद।

4- सम्बन्धित अधिकारी।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमा द्विवेदी)
अनुसचिव।